

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या-03/कृ०बजट-आवंटन-20/2015-293(आवंटन)/कृ०, पटना, दिनांक 30-03-2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Mail/Fax

सेवा में,

कृषि निदेशक बिहार, पटना।

विषय : राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture) (NMSA) के अधीन वर्ष 2015-16 में घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए केन्द्रांश-284.8145 लाख एवं राज्यांश-189.8791 लाख, अनुसूचित जाति के लिए केन्द्रांश की राशि 54.9040 लाख एवं राज्यांश 36.6032 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रांश की राशि 3.4315 लाख एवं राज्यांश 2.2877 लाख कुल 571.92 लाख रु० (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) के लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹5,71,92,000 (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय :

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1598 दिनांक-22.03.2016 द्वारा राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture) (NMSA) के अधीन वर्ष 2015-16 में घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए केन्द्रांश-284.8145 लाख एवं राज्यांश-189.8791 लाख, अनुसूचित जाति के लिए केन्द्रांश की राशि 54.9040 लाख एवं राज्यांश 36.6032 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रांश की राशि 3.4315 लाख एवं राज्यांश 2.2877 लाख कुल 571.92 लाख रु० (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) के लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹5,71,92,000 (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹5,71,92,000 (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) मात्र में से केन्द्रांश-₹2,84,81,450 (दो करोड़ चौरासी लाख ईक्यासी हजार चार सौ पचास रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0207-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401001050207, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹5,71,92,000 (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) मात्र में से राज्यांश ₹1,89,87,910 (एक करोड़ नवासी लाख सतासी हजार नौ सौ दस रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0307-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401001050307, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹5,71,92,000 (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) मात्र में से केन्द्रांश-₹54,90,400 (चौवन लाख नब्बे हजार चार सौ रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0238-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401007890238, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹5,71,92,000 (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) मात्र में से राज्यांश ₹36,60,320 (छत्तीस लाख साठ हजार तीन सौ बीस रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0338-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401007890338, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. उपरोक्त ₹5,71,92,000 (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) मात्र में से केन्द्रांश-₹3,43,150 (तीन लाख तैंतालीस हजार एक सौ पचास रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0258-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401007960258, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त ₹5,71,92,000 (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार रु०) मात्र में से राज्यांश ₹2,28,770 (दो लाख अठाईस हजार सात सौ सत्तर रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0358-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड- P2401007960358, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि० (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक-

293 (भारतन)

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-

महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

293 (भारतन)

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/निदेशक, उद्यान बिहार पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित संयुक्त निदेशक (शष्प)/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) प्रक्षेत्र आरा/ पूर्णियाँ/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना शाखा, (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।